न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 46/2017

वादी :-	बनाम	प्रतिवादीगण :-
1. लालाराम पुत्र मांगूराम जाति–मेघवाल, निवासी–बिरामपुरी तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. आसूराम पुत्र मांगूराम 2. नौरतराम पुत्र मांगूराम 3. बलदेवराम पुत्र मांगूराम 4. गोदाराम पुत्र मांगूराम 5. श्रवणराम पुत्र मांगूराम 6. बींजाराम पुत्र सत्यनारायण 7. राकेश पुत्र सत्यनारायण 8. दिलीप पुत्र सत्यनारायण 9. पिस्ता बेवा सत्यनारायण 10. बालु पुत्र लुम्बारा फौत के का.मु 10.1 श्रवण पुत्र बालु 11. जुगीया पुत्र लुम्बा फौत के का.मु. 11.1 भागुराम पुत्र जुगीया 11.2 गणपत पुत्र जुगीया 12. आपूड़ा पुत्र लुम्बाराम 13. फूली पत्नि सोहन 14. रामा पुत्र लुम्बा 15. कल्याण पुत्र हरजी 16. इन्दा पुत्र हरजी 17. सामता पत्नि गोदाराम 18. पपली पत्नि लखाराम जातियान–बावरी,निवासी–आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली 19. अणचीदेवी पत्नि धन्नाराम जाति–बावरी, निवासी–बिरोल तहसील–जैतारण, जिला–पाली 20. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू: 16.03.2017**

उपस्थितः– 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 17/05/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा–आ0कालू–चक–प्रथम, पटवार हल्का–आ0कालू–चक–प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48–09 बीघा किस्म बारानी

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

अव्वल, खसरा न. 2066 रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा 2067/5 रकबा 14-16 बीघा बारानी अव्वल, कुल रकबा 87-11 बीघा की आई हुई है। नकल जमाबन्दी वादपत्र के साथ पेश है। जिसमें वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें । उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की राजस्व रेकर्ड मे सामलाती आराजी है। जिसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही हो रहा है, मौके पर आपसी सहमति सें उक्त आराजी का वाद एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है एवं वादी अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। तथा मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी आज दिन तक भी शामलाति चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड मे सामलाती दर्ज होने, उसका कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही होने से वादी को अनेको प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है । जिसमें वादी अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैंक से ऋण लेने, अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने, उसके चारो तरफ तारबंदी करने, खाद-बीज मिट्टी डालनें में वादी को अनेको परेशानीयों का सामना करना पडता है। इसलिए इन परेशानीयों से बचने के लिए कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा बाबत् यह वादपत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का अपने हक हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा-काश्त है। परन्तु प्रतिवादीगण वादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेसकीमती आराजी को हडप करना चाहते है, तथा अजनबी केता को बेचान करने पर आमादा है, आये दिन वादी के हक हिस्से की भूमि पर व वादी के कब्जे - काश्त में दखलन्दाजी कर रहे है। तथा वादी की आराजी में कब्जा करने पर उतारु है। तथा प्रतिवादीगण वादी की आराजी के चारो तरफ की गई मेडबंदी को बिखेर देते है एवं वादी की आराजी में पशुओं को खुला छोडकर फसलों को नष्ट कर रहें है एवं आये दिन दखलंदाजी व हस्तक्षेप करते रहते है। तथा प्रतिवादीगण वादी को एलानिया धमकी देते है कि उनको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगें एवं उक्त आराजी को आगे अजनबी केता को बेचान कर कब्जा सुपुर्द कर देगें। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादों मे कामयाब हो जाते है एवं वादी को मौके से बेदखल कर भूमि अजनबी केता को बेचान कर देते है तो वादी को अपूर्णिय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक व अधिकारो से महरुम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। दिनॉक 08-02-2017 को प्रतिवादीगण ने वादी को मौके से बेदखल कर उक्त भूमि को बंटवाडा कराये ही अजनबी केता को बेचान करने की एलानिया धमकी दी तब वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामंदी से उक्त आराजी का कानूनन बंटवाडा कर ले, जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाडा हो रखा है उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर ही आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाडा के अनुसार ही राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा कर लेवे परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये एवं वादी को कहा कि वो धनबल के आधार पर उसे बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अपना हक व अधिकार जमा लेगें । यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब हो जाते है तो वादी को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारो से हमेशा हमेशा के लिए महरुम होना पडेगा एवं मौके पर लडाई झगडे होगें, विवाद बढेगा। जिससे मल्टीप्लासिटी ऑफ प्रोसिडिग्स् बढेगी । इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह वादपत्र बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0 संख्या 11/1 की ओर से वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 10 व 12 से 19 को बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 11/1 को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद भी जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया जाता हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। लिहाजा पक्षकारान् में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि कि सरहद मौजा-आ0कालू-चक-प्रथम, पटवार हल्का-आ0कालू-चक-प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा न. 2066 रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा 2067/5 रकबा 14-16 बीघा बारानी अव्वल, कुल रकबा 87-11 बीघा भूमि जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/134 दिनांक 31/01/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2018/2032 दिनांक 16/04/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-आ0कालू-चक-प्रथम, पटवार हल्का-आ0कालू-चक-प्रथम में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदार एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 2065 रकबा 48-09 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा न. 2066 रकबा 24-06 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा 2067/5 रकबा 14-16 बीघा बारानी अव्वल,

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कुल रकबा 87–11 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	लालाराम पुत्र मांगुराम कौम मेघवाल सा. बिरामपुरी तहसील जैतारण जिला पाली खातेदार	2066/1	3-05-00	बा0अ0	
2	आसुराम नौरतराम बलदेव गोदाराम श्रवणराम पि. मांगु बींजाराम राकेश दिलीप पि. सत्यनारायण पिस्ता बेवा सत्यनारायण 4/27 हिस्सा, बालु पुत्र लुम्बा फोत के का.मु. श्रवण पुत्र बालु 4/27 हि0, जुगिया पुत्र लुम्बा फौत के का.मु. भागुराम पुत्र जुगिया गणपत पुत्र जुगिया 4/27 हि0, आसु पुत्र लुम्बा 4/27 हि0, फुली पत्नि सोहन 2/27 अणचीदेवी पत्नि थानाराम कौम बावरी सा0 बिरोल 2/9 हि0 इन्द्रा पुत्री हरजी कौम बावरी सा0 देह 2/27 हि0, कल्याण पुत्र हरजी 1/84 सायता पत्नि गोदाराम 1/84 पपली पत्नि लखाराम 1/84 कौम बावरी सा0 देह खातेदार	2065 2066 2067/5	4809-0 21-01-0 14-16-0	बा0अ0 बा0अ0 बा0अ0	52.27 – –

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/05/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र शिविर–आ0 कालु में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी जैतारण (पाली)
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner